राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष–0141–2740239, फेक्स–0141–2742309, ई मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.4(1)(एस–318/2023)/अलेसे–III/598 दिनांक :– 06/02/2026

आदेश संख्या :–525/2025–26

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित **श्री सुधीर कुमार राव पुत्र श्री इन्द्र कुमार राव** (रोल नं. 733527) को विभागीय नियुक्ति आदेश संख्या 237/2024–25 दिनांक 11.01.2025 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोषालय, टोंक में नियुक्ति दी गयी थी, जिसमें बिन्दु संख्या 02 पर उल्लेखित है कि **''यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।''**

विभाग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुधीर कुमार राव का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन करवाये जाने पर कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक के पत्र क्रमांक 3659 दिनांक 16.04.2025 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि श्री राव के विरूद्ध महिला थाना जिला चित्तौडगढ में मुकदमा नं 33/2023 दिनांक 02.07.2023 में दर्ज होकर चार्जशीट नं 21/2023 दिनांक 19.12.2023 धारा 498ए, 323, 504, 506 भादस व 4 द.प्र.स. में किता कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 चित्तौडगढ द्वारा राजस्थान राज्य बनाम सुधीर कुमार राव प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2025 की प्रति श्री राव द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा श्री सुधीर राव को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया एवं अपराध धारा 406, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 21.04.2025 जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया।

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के अनुसरण में आयोजित विभागीय बैठक दिनांक 18.12.2025 में श्री सुधीर कुमार राव के विरूद्ध दायर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2025 कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा–2023 में श्री सुधीर कुमार राव को नियुक्ति दिये जाने के पश्चात का होने तथा श्री राव पर नियुक्ति के समय लंबित मुकदमें अंतर्गत धारा 323, 406 कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 ''ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिए'' के उपबिन्दु संख्या (V) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों एवं धारा 498ए उपबिन्दु संख्या (VII) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार–दहेज) के अपराध के अंतर्गत होने एवं विभागीय आदेश संख्या 237/2024–25 दिनांक 11.01.2025 के कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति की शर्तो के बिन्दु संख्या 02 के आधारों पर विभागीय समिति द्वारा श्री सुधीर कुमार राव पुत्र श्री इन्द्र कुमार राव (रोल नं. 733527) को कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु अयोग्य मानते हुये विभागीय नियुक्ति आदेश संख्या 237/2024–25 दिनांक 11.01.2025 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर जारी नियुक्ति को निरस्त किये जाने की अनुशंषा की गयी जो कि वित्त (राजस्व) विभाग की आई. डी. संख्या 252600010 दिनांक 08.01.2026 द्वारा अनुमोदित है।

विभागीय समिति की उक्तानुसार अभिशंषा, कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं वित्त (राजस्व) विभाग की आई. डी. संख्या 252600010 दिनांक 08.01.2026 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर श्री सुधीर कुमार राव पुत्र श्री इन्द्र कुमार राव की विभागीय आदेश संख्या 237/2024–25 दिनांक 11.01.2025 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर जारी नियुक्ति एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

संध्या शर्मा 6/2/2026
(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(1)(एस–318/2023)/अलेसे–III/598 दिनांक :– 06/02/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सयुंक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।

5. उप विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
6. कोषाधिकारी, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुधीर कुमार राव पुत्र श्री इन्द्र कुमार राव को आदेश की प्रति तामील करवाते हुये निदेशालय को अवगत करावें।
7. संयुक्त निदेशक (ए.सी.पी.) कोष एवं लेखा विभाग को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
9. श्री सुधीर कुमार राव पुत्र श्री इन्द्र कुमार राव निवासी डारडा हिन्द तहसील व जिला टोंक पिन कोड़–304001 (रजिस्टर्ड)।
10. रक्षित / निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक II / III)